रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244902
CG-DL-E-03042023-244902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 217]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

फा. सं. ए-60011/3/2023-IIAC.—भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र,भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "केंद्र" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है किंतु परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमश: उस अधिनियम में है ।

3. केंद्र की बैठक– केंद्र उतनी बार बैठक कर सकेगा जितनी बार वह अपने कार्य के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझे किंतु साधारणतया बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगी जो केंद्र द्वारा नियत किया जाए ।

4. कार्यवाहियां– केंद्र की बैठकों की सभी कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए केंद्र द्वारा अनुरक्षित कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट की जाएंगी और सभी कार्यवृत्त सम्यक रुप से इनके संपुष्ट किए जाने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या बैठक के पीठासीन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

5. असाधारण बैठक– केंद्र की असाधारण बैठक यथास्थिति, अध्यक्ष या केंद्र के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस पर बुलाई जाएगी ।

6. बैठकों का नोटिस– केंद्र की प्रत्येक बैठक का नोटिस, साधारण बैठक की दशा में अधिमानत: सात दिन पूर्व, और असाधारण बैठक की दशा में बैठक की तारीख से तीन दिन पूर्व इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा या स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा, डाक भेजने के प्रमाणपत्र के अधीन, केंद्र के सदस्यों को भेजा जाएगा और बैठक की कार्यसूची क्रमश: साधारण बैठक और असाधारण बैठक के लिए अधिमानत: पांच दिन और दो दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

7. गणपूर्ति– केंद्र की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति का गठन करने के लिए केंद्र के तीन सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी अन्य उपलब्ध पद्धति में उपस्थिति अपेक्षित होगी :

परंतु यदि बैठक के लिए नियुक्त समय पर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो बैठक उसी तारीख को, पश्चात्वर्ती समय पर या यथास्थिति, अध्यक्ष या बैठक के पीठासीन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित अन्य तारीख के लिए स्थगित हो जाएगी और उसी कार्य सूची के आधार पर बुलाई गई स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति का मानदंड पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा ।

8. पीठासीन प्राधिकारी– केंद्र की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों में से उनके द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ।

9. विनिश्चय– केंद्र की किसी बैठक में सभी प्रश्न बहुमत द्वारा अवधारित किए जाएंगे । केंद्र के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा । बराबरी की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी का अपने साधारण मत के अतिरिक्त निर्णायक मत होगा ।

10. संकल्प– कोई संकल्प, केंद्र की बैठकों के समक्ष रखे गए संकल्पों के सिवाय, उनके सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा अंगीकृत किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचारित और सदस्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत जिन्होंने ऐसे संकल्प पर अपना अनुमोदन या अननुमोदन संज्ञापित किया है, उसी प्रकार बाध्यकारी होगा मानो ऐसा संकल्प केंद्र की बैठक में अंगीकृत किया गया था ।

हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./743/2022-23]

INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

NOTIFICATION

New Delhi,the 31st March, 2023

F. No. A-60011/3/2023-IIAC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 20 read with clause (b) of sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Transaction of Business) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019);

(b) "Centre" means the India International Arbitration Centre established under section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Centre referred to in clause (a) of section 5;

(d) "Member" means the Member as referred to in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) All other words and expressions used here in but not defined and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to the min the said Act.

3. Meetings of the Centre. - The Centre may meet as often as may be considered necessary for transaction of its business but shall ordinarily meet atleast once in every quarter at such place, date and time as may be decided by the Centre.

4. Proceedings.-All proceedings of the meetings of the Centre shall be entered in a minute book to be maintained by the Centre for the purpose and all the minutes shall be signed by the Chairperson or the presiding authority of the meeting, as the case may be, after the same is duly confirmed.

5. Extraordinary meeting. - An extraordinary meeting of the Centre shall be called on a written notice by at least three Members oft he Centre or by the Chairperson, as the case may be.

6. Notice of meetings. - Notice of every meeting of the Centre shall be sent to the Members of the Centre, in the case of an ordinary meeting preferably before seven days, and in the case of an extraordinary meeting,three days before the date of the meeting, by electronic mail or by Speed Post or Courier, under certificate ofposting and the agenda of the meeting shall be sent preferably five days and two days respectively for an ordinary meeting and an extraordinary meeting.

7. Quorum. - Three Members of the Centre are required to be present in person or any other available mode to constitute the quorum for any meeting of the Centre:

Provided that if at the time appointed for the meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to a later time on the same date or another date as decided by the Chairperson or the presiding authority, as the case may be, and the meeting called after the adjourned meeting on the basis of the same agenda shall not be required to fulfill the criteria of aquorum.

8. Presiding authority. - Every meeting of the Centre shall be presided over by the Chairpersonand in his absence, the Members present in the meeting shall choose a Member from amongst themselves to preside over the meeting.

9. Decisions. - All questions at any meeting of the Centre shall be determined by a majority ofvotes. Every Member of the Centre shall have one vote. In case of tie, the Chairperson orpresiding authority, as the case may be shall have acasting vote in addition to his ordinary vote.

10. Resolution. - Any resolution, except such as may be placed before the meetings of the Centre,may be adopted by circulation among all its Members and any resolution so circulated and adopted bymajority of the Members who have signified their approval or disapproval of such resolution shall bebindingas if such resolutionhad been adopted atameeting oftheCentre.

HEMANT GUPTA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./743/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.03 15:28:54 +05'30'